

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-२७१७/११-सी-FP/UP/Road/35290/2018, लखनऊ, दिनांक: २८, २८, २०२१

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-२,
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

विषय:- जनपद चन्दौली के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत नौगढ से नौगढ बांध सम्पर्क मार्ग के किमी० ०.०० से १२.०० किमी० तक मार्ग निर्माण में प्रभावित ९.९० हे० आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव सं०- FP/UP/Road/35290/2018

संदर्भ:- उ०प्र० शासन का पत्रांक-२९/८१-२-२०२०-८००(८५)/२०१९, दिनांक ११.०६.२०२०

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उ०प्र० शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर के पत्रांक-१८३८/२६-११, दिनांक ०५.०४.२०२१ द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में ऑनलाइन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन "परिवेश" पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(संजय श्रीवास्तव)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- २७१७ /११-सी-FP/UP/Road/35290/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर।
२. प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्यजीव प्रभाग, रामनगर-वाराणसी।
३. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड (प्र०प०), लो०नि०वि०, चन्दौली।

(संजय श्रीवास्तव)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।